सहमति का महत्त्व: वैवाहिक बलात्कार या मैरिटल रेप का मुद्दा

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-I (भारतीय समाज) & II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

13 मई, 2022

विवाह संस्था को बल और हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती।

वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के सवाल पर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक विभाजित फैसले ने शादी के बाद संबंध बनाने की असहमति के मुद्दे को कानूनी संरक्षण देने पर व्याप्त विवाद को फिर से उठा दिया है।

बुधवार को, जहाँ एक तरफ बेंच का नेतृत्व करने वाले न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने आईपीसी की धारा 375 के अपवाद को असंवैधानिक करार दिया, जिसमें कहा गया है कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाना बलात्कार नहीं है, भले ही यह उसकी सहमति के बिना हो, तो वहीं दूसरी तरफ न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कानून में कोई भी बदलाव विधायिका द्वारा किया जाएगा क्योंकि इसके लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है।

न्यायाधीशों के साक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई, सहमति के महत्त्व, विवाह संस्था की सुरक्षा के बारे में राज्य की चिंताएँ वैध थीं और यदि यौन हिंसा के खिलाफ अन्य कानून विवाहित महिलाओं की रक्षा करते हैं, तो इसमें शामिल मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं। अंततः किसी तीसरे न्यायाधीश या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की एक बड़ी पीठ की मदद से फैसला सुनाया जाए तो बेहतर रहेगा।

केन्द्र सरकार वैवाहिक बलात्कार अपवाद को हटाने का विरोध करती रही है। 2016 में केन्द्र ने कहा कि अगर वैवाहिक जीवन मे बने संबंध को बलात्कार न मानने की धारा को रद्द किया गया तो इसके व्यापक दुष्परिणाम होंगे।

भारतीय समाज पश्चिमी समाज से अलग है। यहाँ ऐसी व्यवस्था का नकारात्मक असर हो सकता है। इससे मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। हालाँकि, 2021 में केंद्र ने कहा कि वह इस मसले पर कानूनविदों, सामाजिक संगठनों और दूसरे लोगों से व्यापक चर्चा करेगा और उसके बाद वह अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करेगा।

जस्टिस शकधर ने फैसला देते हुए कहा, 'जहाँ तक पति का सहमति के बिना पत्नी के साथ संबंध बनाने का प्रश्न है, यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इसलिए इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।' इस निष्कर्ष से असहमति जताते हुए जस्टिस हरिशंकर ने कहा, 'धारा 375 का अपवाद-2 अनुच्छेद 14, 19 या 21 का उल्लंघन नहीं करता है।

इसमें साफतौर पर अंतर है।' जस्टिस शकधर ने पाया कि वैवाहिक अपवाद कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन करता है, साथ ही महिलाओं को गैर-सहमति से यौन संबंध के लिए मुकदमा चलाने के अधिकार से वंचित करता है। इसके अलावा, यह महिलाओं के बीच उनकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर भी भेदभाव करता है। इसके विपरीत, न्यायमूर्ति हरि शंकर के अनुसार, शादी का महत्त्व और विवाह के पवित्र बंधन में बंधे पति-पत्नी के बीच संबंध को निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऐसा कहना कि विवाह अब कानून में पवित्र नहीं माना जाता है, उनकी राय में यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

कभी पति अपनी पत्नी को संबंध बनाने के लिए मजबूर कर सकता है, जिस समय वह इच्छुक न हो। लेकिन क्या यह कहा जा सकता है कि उसका अनुभव उस महिला की तरह रहा होगा जिसे किसी अजनबी ने तबाह कर दिया? जब महिला और पुरुष शादीशुदा हैं तो इस तरह से रेप का अपराध नहीं बनता। जब कोई अपराध नहीं है तो अपराधी नहीं हो सकता।

यदि विवाह को दो लोगों के बीच साझेदारी के रूप में माना जाता है, तो 162 साल पुराने कानून में अपवाद का कोई स्थान नहीं होना चाहिए था। वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक अपराध बनाने के लिए क्या विधायी मार्ग अधिक उपयुक्त है, इसे देखना अभी बाकि है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यौन हिंसा का समाज में कोई स्थान नहीं है और विवाह संस्था भी इसका अपवाद नहीं हो सकता।

GS World
Committed To Excellence

जीएस वर्ल्ड टीम इनपुट

IN THE NEWS

मैरिटल रेप यानी वैवाहिक दुष्कर्म

चर्चा में क्यों?

- मैरिटल रेप यानी वैवाहिक दुष्कर्म का मामला एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में, दिल्ली हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने इसे लेकर बंटा हुआ फैसला किया।
- एक जज ने कहा कि IPC की धारा 375, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। लिहाजा पत्नी से जबरन संबंध बनाने पर पति को सजा दी जानी चाहिए। वहीं, दूसरे जज ने मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना।

वैवाहिक दुष्कर्म होता क्या है?

- जब एक पुरुष अपनी पत्नी की सहमति के बिना जबरन संबंध बनाता है तो इसे वैवाहिक दुष्कर्म कहा जाता है। आईपीसी के अनुसार सिर्फ पुरुष ही दुष्कर्म के लिए आरोपित किया जा सकता है। इसलिए "पति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना किया गया यौन व्यवहार" वैवाहिक दुष्कर्म का आशय है।

वैवाहिक दुष्कर्म को लेकर भारत का कानून क्या कहता है?

- दुष्कर्म के मामले में अगर आरोपी महिला का पति है तो उस पर दुष्कर्म का केस दर्ज नहीं हो सकता है। IPC की धारा 375 में दुष्कर्म को परिभाषित किया गया है। इसमें वैवाहिक दुष्कर्म को अपवाद बताया गया है। धारा 375 कहती है कि अगर पत्नी की उम्र 18 साल से अधिक है तो पति द्वारा बनाया गया संबंध दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। भले इसके लिए पति ने पत्नी की मर्जी के खिलाफ जाकर जबरदस्ती की हो।

इस वक्त दुनिया के कितने देशों में वैवाहिक दुष्कर्म अपराध है?

- पोलैंड दुनिया का पहला देश है जहाँ वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध माना गया। 1932 में पोलैंड में वैवाहिक दुष्कर्म के खिलाफ कानून आया। 1970 तक स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, सोवियत संघ, चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों ने भी इसे अपराध घोषित कर दिया। 1976 में ऑस्ट्रेलिया और 80 के दशक में साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका, न्यूजीलैंड, मलेशिया, घाना और इजराइल भी इस लिस्ट में शामिल हो गए।
- संयुक्त राष्ट्र की प्रोग्रेस ऑफ वर्ल्ड वुमन रिपोर्ट के मुताबिक 2018 तक दुनिया के 185 देशों में सिर्फ 77 देश ऐसे थे जहाँ वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने को लेकर स्पष्ट कानून हैं। बाकी 108 देशों में से 74 ऐसे हैं जहाँ महिलाओं के लिए अपने पति के खिलाफ रेप के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज करने के प्रावधान हैं। वहीं, 34 देश ऐसे हैं जहाँ न तो वैवाहिक दुष्कर्म अपराध है और ना ही महिला अपने पति के खिलाफ दुष्कर्म के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज कर सकती हैं। इन 34 देशों में भारत भी शामिल है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. IPC की धारा 375 में दुष्कर्म को परिभाषित किया गया है।
2. पोलैंड दुनिया का पहला देश है जहाँ वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध माना गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(क) केवल 2

(ख) केवल 1

(ग) 1 और 2 दोनों

(घ) न तो 1, न तो 2

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements:-

1. Section 375 of the IPC defines rape.
2. Poland is the first country in the world where marital rape is considered a crime.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 2

(b) Only 1

(c) 1 and 2 both

(d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. भारत में वैवाहिक बलात्कार के विरुद्ध कानून की आवश्यकता का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। साथ ही, ऐसे कानून को वैध बनाने में विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. Critically analyze the need for legislation against marital rape in India. Also, discuss the various challenges in legalizing such a law. (250 Words)

World
Committed To Excellence

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।